पत्रांक–7/मलेरिया–23–01/2012 2370

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 3-5-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 20,21,53,200/– (बीस करोड़ इक्कीस लाख तीरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 20,21,53,200/– (बीस करोड़ इक्कीस लाख तीरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । प्राथमिक इकाई मजदूरी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. डी0डी0टी0 छिड़काव का सधन अनुश्रवण / पर्यवेक्षण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। दवा छिड़काव का व्यापक प्रचार प्रसार होने के पश्चात निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें सुनिश्चित करेंगे कि छिड़काव जिला परिषद् / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाय ।

6. किराये में मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

7. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

3/5/2012

10. विवरणी–।। में कार्यालय व्यय इकाई में आवंटित राशि डी.डी.टी. के लिए रेलवे भाड़ा परिवहन एवं भंडारण हेतु नवादा/ गया/ रोहतास/ कैमूर/ औरंगाबाद/ मुंगेर एवं जमुई को संलग्न सूची के अनुसार आवंटन दिया जा रहा है, जिसकी निकासी संबंधित जिला पदाधिकारी ही मजदूरी इकाई की तरह पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार करेंगे एवं राशि का व्यय इसी विनिदिष्ट कार्य के लिए सुनिश्चित करेंगे ।

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

12. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

13. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

3/5/2012.

विश्वासभाजन,

3/5/2012.

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2317)9 पटना, दिनांक : 3 -5 -12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

3/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं प्रोतेयाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	3300000	1980000	660000	100000	33000	33000	6106000	25000	20000	25000	15000	2000	5000	2000	4000	20600	30000	625460
2	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0, पटना	1300000	780000	260000	100000	13000	13000	2466000	20000	15000	10000	15000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	258810
3	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,मुजफ्फरपुर	2000000	1200000	200000	0	20000	20000	3440000	20000	15000	10000	15000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	356210
4	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,भागलपुर	4500000	2700000	450000	0	45000	45000	7740000	20000	15000	10000	15000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	786210
5	क्षेत्रीय मलेरिया पदा0,दरभंगा	4500000	2700000	450000	0	45000	45000	7740000	20000	15000	10000	15000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	786210
6	अपर मु0 चि0 पदा0,पटना	9000000	5400000	1800000	200000	90000	90000	16580000	35000	50000	10000	15000	2000	5000	2000	4000	25000	30000	1675800
7	अपर मु0 चि0 पदा0, गया	5000000	3000000	450000	0	50000	50000	8550000	20000	15000	10000	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	866210
8	अपर मु0 चि0 पदा0, भोजपुर	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	779710
9	अपर मु0 चि0 पदा0, नवादा	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	557410
10	अपर मु0 चि0 पदा0, नालन्दा	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	557410
11	अपर मु0 चि0 पदा0, औरंगाबाद	2000000	1200000	180000	0	20000	20000	3420000	20000	15000	10000	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	553210
12	अपर मु0 चि0 पदा0, रोहतास	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	10000	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	560210
13	अपर मु0 चि0 पदा0, भागलपुर	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	20000	4000	20600	30000	779710
14	अपर मु0 चि0 पदा0, मुंगेर	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	779710
15	अपर मु0 चि0 पदा0, वैशाली	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	779710
16	अपर मु0 चि0 पदा0, मुजफ्फरपुर	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	10000	5000	2000	3500	20000	4000	20600	30000	781510
17	अपर मु0 चि0 पदा0, दरभंगा	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	780710
18	अपर मु0 चि0 पदा0, सीतामढ़ी	4000000	2400000	360000	0	40000	40000	6840000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	780510
19	अपर मु0 चि0 पदा0, समस्तीपुर	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	780510
20	अपर मु0 चि0पदा0,पूर्वी चम्पारण	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	558210
21	अपर मु0 चि0 पदा0,प0चम्पारण	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	694210
22	अपर मु0 चि0 पदा0, सारण	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	779710
23	अपर मु0 चि0 पदा0, सीवान	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	779710
24	अपर मु0 चि0 पदा0, गोपालगंज	3200000	1920000	288000	0	32000	32000	5472000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	780510
25	अपर मु0 चि0 पदा0, बेगुसराय	2800000	1680000	252000	0	28000	28000	4788000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	558210
26	अपर मु0 चि0 पदा0, पूर्णिया	4000000	2400000	360000	0	40000	40000	6840000	20000	15000	0	5000	2000	3500	2000	4000	20600	30000	557410
27	अपर मु0 चि0 पदा0, सहरसा	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20600	30000	489010
28	अपर मु0 चि0 पदा0, कटिहार	2200000	1320000	198000	0	22000	22000	3762000	20000	15000	0	5000	2000	3500	20000	4000	20600	30000	695010
29	अपर मु0 चि0 पदा0, मधुबनी	4500000	2700000	405000	0	45000	45000	7695000	20000	15000	0	5000	2000	3500	10000	4000	20000	30000	781510
	कुल	**113300000**	**67980000**	**11803000**	**400000**	**1133000**	**1133000**	**195749000**	**600000**	**475000**	**115000**	**205000**	**58000**	**104500**	**168000**	**116000**	**601200**	**870000**	**199061700**

(उन्नीस करोड़ नब्बे लाख एकसठ हजार सात सौ) रू0 मात्र

23(7)9
3-5-12

3/5/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी– ।।

व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210061010003 अन्तर्गत उल्लेखित प्राथमिक इकाईयों में नवादा/गया/रोहतास/कैमूर/औरंगाबाद/मुंगेर एवं जमुई जिले का वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन

क्रमांक	जिला का नाम	मजदूरी (02–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल आवंटित राशि
1	नवादा	268500	14000	282500
2	गया	156000	8000	164000
3	रोहतास	305000	15000	320000
4	कैमूर	606500	19000	625500
5	औरंगाबद	509500	6000	515500
6	मुंगेर	364000	11000	375000
7	जमुई	790000	19000	809000
	कुल योग :–	**2999500**	**92000**	**3091500**

(तीस लाख एकान्वे हजार पॉच सौ) रूपये मात्र

3/5/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी– ।।।

विवरणीवार व्यय की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	विवरणी– ।	विवरणी– ।।	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	113300000	0	113300000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	67980000	0	67980000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	11803000	0	11803000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	400000	0	400000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1133000	0	1133000
6	अन्य भत्ता (01–07)	1133000	0	1133000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**195749000**	**0**	**195749000**
7	मजदूरी (02–01)	0	2999500	2999500
8	यात्रा व्यय (11–01)	600000	0	600000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	475000	92000	567000
10	दूरभाष (13–03)	115000	0	115000
11	विद्युत प्रभार (13–04)	205000	0	205000
12	विधि प्रभार (13–05)	58000	0	58000
13	वर्दी/ पोषाक (13–06)	104500	0	104500
14	किराया महसूल एवं कर (14–01)	168000	0	168000
15	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	116000	0	116000
16	दवा भण्डार (21–02)	601200	0	601200
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	0	0	0
18	अन्य प्रभार (50–01)	0	0	0
19	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	870000	0	870000
	कुल योगः–	**199061700**	**3091500**	**202153200**

(बीस करोड़ इक्कीस लाख तीरपन हजार दो सौ) रू0 मात्र

3/5/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

23(7)9

3-5-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	138027000	113300000	24727000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	92478000	67980000	24498000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	15814000	11803000	4011000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	407000	400000	7000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1692000	1133000	559000
6	अन्य भत्ता (01–07)	1582000	1133000	449000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**250000000**	**195749000**	**54251000**
7	मजदूरी (02–01)	6000000	2999500	3000500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	500000	0	500000
9	यात्रा व्यय (11–01)	1200000	600000	600000
10	कार्यालय व्यय (13–01)	1170000	567000	603000
11	दूरभाष (13–03)	234000	115000	119000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	500000	205000	295000
13	विधि प्रभार (13–05)	100000	58000	42000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	306000	104500	201500
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	300000	168000	132000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	228000	116000	112000
17	दवा भण्डार (21–02)	1200000	601200	598800
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	2400000	870000	1530000
	कुल योगः–	**264139000**	**202153200**	**61985800**

3/5/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

23(7)9

3-5-12